हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन पत्र संख्या 106/2020 अनवान हुकमसिंह बनाम भंवरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय काऊ का खेड़ा पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 02.11.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, काऊ का खेड़ा रा.उ. प्रा.वि काऊ का खेड़ा पर पत्रावली पेश हो। (रोहित चौहान) उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर	
02.11.2021	पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय काऊ का खेड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय काऊ का खेड़ा पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा 1 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थी के खेत खसरा नं. 135 रकबा 61.14 बीघा ग्राम काऊ का खेड़ा पटवार मण्डल कवास में सुखाचार हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा न. 474/135 में से नया रास्ता खोलने एवं राजस्व अभिलेख में रास्ता अंकित किये जाने हेतु निवेदन किया। आवेदन पंजीयन कर उत्तरदातागण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार, बाड़मेर से मौका प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार, बाड़मेर ने अपने प्रतिवेदन में अंकित किया है कि ग्राम काऊ का खेड़ा मं खेत खसरा नंबर 135 के खातेदार हुकमसिंह वगैरह ने खसरा नंबर 474/135 रकबा 118.02 बीघा मे से रास्ते हेतु वाद दायर किया है। मौका अनुसार छीतर का पार–कवास रोड़ से कुम्हारों की स्कूल तक मनरेगा के तहत् ग्रेवल सड़क आम सहमती से बनी हुई है। उक्त ग्रेवल सडक कटाण नही है। उक्त ग्रेवल सडक खसरा नबर 135 के मध्य से होकर गुजर रही है। अतः आवेदक हुकमसिंह ग्रेवल सड़क से जुड़ा हुआ है। आवेदक जहां से रास्ता चाह रहा है उसका कोई औचित्य नही है। आवेदक पूर्व मे ही ग्रेवल सड़क से जुड़ा हुआ है। है। अतः ग्रेवल रास्ते से जुड़े होने का विकल्प मौजूद होने से प्रार्थी का आवेदन काबिल खारिज है। प्रार्थी को मौके के अनुसार आवागमन हेतु ग्रेवल रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में आवेदित भूमि में से रास्ता सुखाचार हेतु दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः तहसीलदार, बाड़मेर के प्रतिवेदन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन निराधार होने से निरस्त किया जाता है। आदेश मजमे आम मे सुनाया गया। (रोहित चौहान) उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर	